[2012] 2 एस.सी.आर. 887

कोयला खदान पी.एफ. आयुक्त न्यासी बोर्ड के माध्यम से

बनाम

रामेश चंद्रा झा

(2012 की सिविल अपील संख्या 41)

जनवरी 4, 2012

[अल्तमस कबीर, सुरिंदर सिंह निज्जर और जे. चेलमेश्वर, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - एस एस. 2(17) और 80 और आदेश XXVII नियम 5A - अपीलकर्ता कोयला खान भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, सीएमपीएफ संगठन की धारा 3 के तहत गठित न्यासी बोर्ड के माध्यम से कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त है - प्रतिवादी, कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) में एक कर्मचारी है, जिसे सेवा से हटा दिया गया - उसने सेवा से हटाए जाने को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया - मुकदमे में प्रारंभिक मुद्दा यह है कि क्या धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस के अभाव में मुकदमा बनाए रखने योग्य था - मामला सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया जिसने माना कि अपीलकर्ता-कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त सीपीसी की धारा 2(17) के अर्थ में एक "सार्वजनिक अधिकारी" है और प्रतिवादी द्वारा मुकदमा दायर करने से पहले उसे धारा 80 के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक था - प्रतिवादी ने अपना मुकदमा वापस ले लिया और अपीलकर्ता को नोटिस देने के बाद एक नया मुकदमा दायर किया। 80 सीपीसी - वाद का आदेश

- प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना कि चूंकि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त भारत संघ के अधीन एक सार्वजनिक अधिकारी था, इसलिए आदेश XXVII नियम 5A और धारा के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए। सीपीसी की धारा 79 के अनुसार, यह वाद भारत संघ के गैर-संयुक्तीकरण के कारण गलत था, जो एक आवश्यक पक्ष था- प्रतिवादी ने दूसरी अपील दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमति दी - माना: उच्च न्यायालय के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से जब उठाया गया मुद्दा पहले ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जा चुका है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त सीपीसी की धारा 2(17) के अर्थ में एक "लोक सेवक" है - कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त की स्थिति के संबंध में पूर्वोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस आधार पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को पलटने में गलती की - प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए उस प्रश्न को फिर से खोलना संभव नहीं था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, कम से कम उन्हीं दलीलों पर जो पहले की गई थीं कि हालांकि संबंधित अधिकारी केंद्र सरकार का कर्मचारी था, लेकिन जब वह था, तो उसे उक्त दर्जा प्राप्त नहीं था। कोयला खान भविष्य निधि योजना के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन - कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम

सेवा से हटाए जाने को चुनौती देते हुए प्रतिवादी ने 1979 में टाइटल सूट नंबर 78 दायर किया। इस सूट में एक प्रारंभिक मुद्दा बनाया गया था कि क्या धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस के अभाव में, यह सूट बनाए रखने योग्य था। व्यथित होकर प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में सिविल रिवीजन दायर किया, जिसने माना कि चूंकि अपीलकर्ता सीपीसी में परिभाषित "सार्वजनिक अधिकारी" नहीं था, इसलिए मुकदमा दायर करने से पहले धारा 80 के तहत कोई नोटिस उसे दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी और सूट को बनाए रखने योग्य माना। इसके बाद अपीलकर्ता ने मामले को इस न्यायालय में लाया और सिविल अपील नंबर 1932 ऑफ 1982 में इस न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकारी के निष्कर्ष को पलट दिया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता-कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त सीपीसी की धारा 2(17) के अर्थ में "सार्वजनिक अधिकारी" है और प्रतिवादी द्वारा मुकदमा दायर करने से पहले उसे धारा 80 के

तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक था। इसके बाद, प्रतिवादी ने अपना टाइटल सूट नंबर 78/1979 वापस ले लिया और धारा 80 सीपीसी के तहत अपीलकर्ता को नोटिस देने के बाद टाइटल सूट नंबर 102/1990 के रूप में एक नया मुकदमा दायर किया। मुकदमा प्रतिवादी के पक्ष में तय हुआ। अपीलकर्ता ने टाइटल अपील को प्राथमिकता दी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना कि चूंकि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त भारत संघ के तहत एक सार्वजनिक अधिकारी था, इसलिए आदेश XXVII नियम SA और सीपीसी की धारा 79 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, मुकदमा भारत संघ के गैर-जॉइनर के लिए बुरा था, जो एक आवश्यक पक्ष था। व्यथित, प्रतिवादी ने दूसरी अपील दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमति दी। इसलिए वर्तमान अपील।

अपील को खारिज करते हुए, कोर्ट

निर्धारित: उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। खासकर जब इस अपील में उठाए गए मुद्दे को इस न्यायालय द्वारा 1982 की सिविल अपील संख्या 1932 में पहले ही तय किया जा चुका है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त सीपीसी की धारा 2 (17) के अर्थ के भीतर एक "लोक सेवक" है। प्रतिवादी द्वारा दायर पहला वाद, 1979 का टाइटल सूट नंबर 78 होने के कारण, इस आधार पर वापस ले लिया गया था कि यह माना गया था कि संहिता की धारा 80 के तहत एक नोटिस आवश्यक था क्योंकि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त एक लोक सेवक था और उसके बाद, दूसरा मुकदमा, 1990 का टाइटल सूट नंबर 102 था, कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त को उचित नोटिस दिए जाने पर प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया था। उपर्युक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए

कोयला खान भविष्य निधि आयोग की स्थिति के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटने में गलती की। प्रथम अपीलीय न्यायालय के लिए यह खुला नहीं था कि वह उस प्रश्न को फिर से खोल दे, जिस पर इस न्यायालय

द्वारा निर्णय लिया गया था, कम से कम उन्हीं प्रस्तुतियों पर जो पहले की गई थीं कि हालांकि संबंधित अधिकारी केंद्रीय कर्मचारी था

जब वह कोयला खान भविष्य निधि योजना के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन कर रहे थे तो उन्हें उक्त दर्जा प्राप्त नहीं था। [पैरा 13] [895-ई-एच•, 896-ए-बी]

आर.पी.एफ. आयुक्त बनाम शिव कुमार जोशी एआईआर 2000 एससी 331: 1999 (5) सप्लीमेंट्री एससीआर 294 और **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य।** (v) नेशनल यूनियन वेटफ्रंट वर्कर्स और अन्य। 2001 (7) एससीसी 1: 2001 (2) पूरक एससीआर 343 - उद्धृत।

केस लॉ संदर्भ:

1999 (5) सप्लीमेंट्री एस.सी.आर. 294	**उद्धृत**	**पैरा 10**
2001 (2) सप्लीमेंट्री एस.सी.आर. 343	**उद्धृत**	**पैरा 10**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2012 की सिविल अपील संख्या 41।

रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 21.12.2010 से द्वितीय अपील संख्या 134 में 2005.

सुनील कुमार, मोना के राजवंशी : अपीलकर्ता

रमेश चंद्र झा : उत्तरदाता (व्यक्तिगत रूप से)

न्यायालय का निर्णय अल्तमस कबीर, जे के द्वारा दिया गया

1. अनुमति दी गई।
2. यहां अपीलकर्ता कोयला खान भविष्य निधि और विविध की धारा 3 के तहत गठित न्यासी बोर्ड के माध्यम से कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त है जी प्रावधान अधिनियम,

सीएमपीएफ संगठन, धनबाद। वही प्रतिवादी को 16 जनवरी, 1967 को कोयला खान भविष्य निधि संगठन की सेवा में मुख्य आयुक्त द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे इसके बाद 'सीएमपीएफओ' कहा जाता है। एक प्रकार के क्वार्टर ॥। के जबरन कब्जे के संबंध में, प्रतिवादी के खिलाफ एक विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी और 16 मार्च, 1979 को होने पर कबीर, जे। उसके खिलाफ लगाए गए आरोप का दोषी पाया गया, प्रतिवादी सेवा से हटा दिया गया था।

3. सेवा से हटाए जाने को चुनौती देते हुए, प्रतिवादी ने धनबाद में मुंसिफ की अदालत में 1979 का टाइटल सूट नंबर 78 दायर किया। इसके साथ ही, प्रतिवादी ने कर्मचारी विनियमों के विनियमन 37 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी अपील दायर की, जिसे 4 मार्च, 1980 को खारिज कर दिया गया।

4. इस दौरान, मामले में, विद्वान मुन्सिफ, धनबाद (झारखंड), ने सूट संख्या 78/1979 में एक प्रारंभिक मुद्दा तय किया कि क्या धारा 80 के अधीन सूट को दाखिल किया जा सकता है? इस आदेश के खिलाफ आपत्ति जताते हुए, उत्तरदाता ने पटना उच्च न्यायालय के रांची बेंच में नागरिक संशोधन संख्या 341/1980 (आर) दाखिल किया, जिसने यह निर्णय दिया कि क्योंकि अपीलकर्ता ने धारा 80 के तहत "सार्वजनिक अधिकारी" नहीं था, इसलिए सूट को दाखिल करने से पहले उस पर धारा 80 के अधीन सूचना देने की आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय के रांची बेंच के इस आदेश दिनांक 7 सितंबर, 1981 को, नाजिल के विद्वान मुन्सिफ के निर्णय को खारिज किया और सूट को दाखिल किया जाने योग्य ठहराया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने मामला इस न्यायालय के पास लाया और सिविल अपील संख्या 1932/1982 में इस न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31 जनवरी, 1990 को, उस संशोधन अधिकारी के खिलाफ निर्णय को पलटा, जिसमें इस संशोधन अधिकारी को धारा 2(17) के अर्थ में एक "सार्वजनिक अधिकारी" माना गया। इसलिए, यह इस न्यायालय तक स्थायी था कि अपीलकर्ता यहाँ एक सार्वजनिक अधिकारी था और कि सूट को दाखिल करने से पहले उस पर धारा 80 के तहत सूचना देने की आवश्यकता थी।

5. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के कारण, 15 फरवरी, 2002 को, प्रतिवादी ने 1979 का अपना टाइटल सूट नंबर 78 वापस ले लिया और धारा 80 सीपीसी के तहत अपीलकर्ता को नोटिस देने के बाद 1990 का टाइटल सूट नंबर 102 होने के नाते एक नया मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता ने उस मुकदमे का विरोध किया, जिसे 15 फरवरी, 2002 को दूसरे मुंसिफ, धनबाद द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री की गई थी, जिसमें प्रतिवादी को मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों के उल्लंघन में एक सेवा। इसे प्रतिवादी/वादी पर बाध्यकारी नहीं मानते हुए, मुंसिफ ने घोषणा की कि प्रतिवादी को सभी लाभों और विशेषाधिकारों के साथ अपीलकर्ता के तहत सीएमपीएफ संगठन में निरंतर सेवा में माना जाएगा।

6. 1990 के प्रतिवादी के टाइटल सूट नंबर 102 की डिक्री करने वाले विद्वान मुंसिफ के आदेश से व्यथित, अपीलकर्ता ने 11वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, धनबाद के न्यायालय के समक्ष 2002 की टाइटल अपील नंबर 29 को प्राथमिकता दी। उक्त अपील में, प्रतिवादी ने यहां यह सवाल उठाया कि क्या प्रतिवादी का वाद भारत संघ के गैर-जॉइंडर के लिए बुरा था जो वाद में एक आवश्यक पक्ष था? अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने कहा कि चूंकि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त एक सार्वजनिक अधिकारी था । भारत संघ के अधीन लोक अधिकारी ताकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVII नियम 5क और धारा 79 के उपबंधों को लागू किया जा सके, यह वाद भारत संघ के गैर-जॉइंडर के लिए बुरा था जो एक आवश्यक पक्षकार था। तदनुसार, 11वें अपर जिला न्यायाधीश, धनबाद ने 1990 के टाइटल सूट संख्या 102 में विद्वान मुंसिफ, द्वितीय न्यायालय, धनबाद के आदेश को दिनांक 16 फरवरी, 2005 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा रद्द कर दिया।

7. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की द्वितीय अपील संख्या 134 दायर की। चार साल बाद, 15 जून, 2009 को, चूंकि प्रतिवादी ने अपने कब्जे में क्वार्टरों का कब्जा खाली नहीं दिया था, संपदा अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2009 द्वारा प्रतिवादी को

अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सूट परिसर खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया। हालांकि, प्रतिवादी ने निर्देशानुसार क्वार्टर खाली नहीं किए, जिसके बाद अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2005 की दूसरी अपील संख्या 134 में 2009 का आई.ए नंबर 1871 दायर किया, जिसमें प्रतिवादी को उसके कब्जे वाले क्वार्टरों को खाली करने का निर्देश दिया गया। 24 अगस्त, 2009 को प्रतिवादी ने अपने वकील के माध्यम से 30 नवम्बर, 2009 तक क्वार्टरों को खाली करने का वचनबद्धता दी गई है। इसके अतिरिक्त, संपदा अधिकारी ने प्रश्नगत क्वार्टरों से प्रतिवादी को बेदखल करने के लिए 28 अगस्त, 2009 को निष्पादन कार्यवाही में एक आदेश पारित किया। वाद परिसर खाली करने के लिए उनके द्वारा दिए गए वचन का सम्मान करने में उनकी विफलता पर, उच्च न्यायालय ने वाद परिसर के उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा दिए गए वचन पत्र में उसके विरुद्ध नए सिरे से अवमानना की कार्यवाही शुरू की और पुलिस अधीक्षक, धनबाद को आदेश प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर क्वार्टरों को खाली कराने और सीएमपीएफओ, धनबाद के सक्षम प्राधिकारी को उसका खाली कब्जा सौंपने का आदेश दिया। 19 फरवरी, 2010 को उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले की सुनवाई की जब यह सूचित किया गया कि प्रतिवादी ने क्वार्टर खाली कर दिए हैं और 17 फरवरी, 2010 को संबंधित प्राधिकारियों को चाबी सौंप दी है।

8. इस स्तर पर यह इंगित करना आवश्यक है कि 2006 की दूसरी अपील संख्या 134, जो प्रतिवादी द्वारा दायर की गई थी, कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर स्वीकार की गई थी कि क्या निचली अपीलीय अदालत ने प्रतिवादी/वादी वाद को भारत संघ के गैर-जॉइंडर के आधार पर खारिज करने में गंभीर त्रुटि, जिससे इस प्रश्न का निर्णय किए बिना कि क्या कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त भारत संघ के तहत एक सार्वजनिक अधिकारी है, ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री को परेशान किया जा सकता है ताकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVII नियम 5A के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके।

9. अपील के समर्थन में उपस्थित होते हुए, श्री जेपी सिंह, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए उपरोक्त प्रश्न का ठीक से उत्तर नहीं दिया था कि पहले इस न्यायालय ने 1982 की सिविल अपील संख्या 1932 में समान पक्षों के बीच स्पष्ट रूप से निर्णय लिया था कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त, हालांकि कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के पैराग्राफ 3 के तहत गठित न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक सार्वजनिक अधिकारी है और इसलिए, कार्यवाही में एक पक्ष बनाया जाना आवश्यक था सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVII नियम 5 A के तहत, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार प्रदान करता है:

> "**आदेश 27 नियम 5 ए** - एक सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ मुकदमे में एक पार्टी के रूप में शामिल होने के लिए। जहां किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध उसके द्वारा अपनी शासकीय हैसियत में किए गए किसी कथित कार्य के संबंध में क्षति या अन्य राहत के लिए वाद संस्थित किया जाता है वहां राज्य सरकार उस वाद में पक्षकार के रूप में सम्मिलित हो जाएगी।

श्री जे. पी. सिंह ने आग्रह किया कि चूंकि इस न्यायालय ने पहले ही इस मुद्दे पर फैसला कर लिया था, इसलिए उच्च न्यायालय को एक बार फिर से इस सवाल पर जाने और इस तरह से फैसला करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जो इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के विपरीत था। श्री सिंह ने प्रस्तुत किया कि यह न्यायालयों के पदानुक्रम के सिद्धांतों का उल्लंघन था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति का भी उल्लंघन था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह एक फिट मामला था। जहां उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जा सकता था क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम 5 ए के प्रावधान मामले के तथ्यों ई के लिए पूरी तरह से आकर्षित थे।

10. प्रतिवादी, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, ने आग्रह किया कि इस न्यायालय के पहले के फैसले के बावजूद, जिसमें कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त को एक सार्वजनिक अधिकारी माना गया था, इस तरह का रुख इस न्यायालय के अन्य निर्णयों के विपरीत था (1) **आरपीएफ आयुक्त बनाम शिव कुमार जोशी** [एआईआर 2000 एससी 331] और (2) **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य। बनाम नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स और अन्य**। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सी1) 2001(7) एससीसी 1] में रिट याचिका (सिविल) सं 2001(7) एससीसी 1] में यह निर्णय दिया था कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सरकारी अधिकारी नहीं है, यद्यपि यह योजना को चलाने के लिए सांविधिक कार्यों का निर्वहन करता है। यह भी देखा गया कि न्यासी बोर्ड को किसी भी तरह से राज्य की संप्रभु शक्तियों के साथ प्रत्यायोजित नहीं किया गया था, भले ही यह माना जाता है कि प्रशासनिक शुल्क केंद्र द्वारा देय थे सरकार। प्रतिवादी ने आग्रह किया कि. निचली अपीलीय अदालत के निष्कर्ष से अपील में एक पक्षकार के रूप में भारत संघ के गैर-जोइंडर के लिए वाद को बुरा ठहराया, यह स्पष्ट रूप से गलत था, कानून के विपरीत और अस्थिर था। फलस्वरूप; विद्वान निचली अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द कर दिया गया था। और टाइटलसूट नं 2 में ट्रायल कोर्ट का निर्णय और डिक्री। 102 1990 का बहाल किया गया था,

11. झारखंड उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने 2005 की दूसरी अपील संख्या 134 दायर की, जिसे अंततः अनुमति दी गई और निचली अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष कि यह वाद एक पक्षकार के रूप में भारत संघ के गैर-जॉइंडर के लिए बुरा था, गलत माना गया और इसे रद्द किया जा सकता था।

12. जैसा कि पहले बताया गया है, यह उक्त निर्णय है और झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश जो विषय वस्तु है वर्तमान सिविल अपील का।

13. अपीलकर्ता और प्रतिवादी की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब इस अपील में उठाए गए मुद्‌दे पर इस न्यायालय द्‌वारा पहले ही निर्णय लिया जा चुका हो कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17) के अर्थान्तर्गत एक लोक सेवक है, जिसमें 1982 की सिविल अपील सं 1932 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2(17) के अर्थान्तर्गत एक लोक सेवक है। यह नहीं भुलाया जा सकता है कि प्रतिवादी द्‌वारा दायर पहला मुकदमा, 1979 का टाइटल सूट नंबर 78 होने के नाते, इस आधार पर वापस ले लिया गया था कि यह माना गया था कि संहिता की धारा 80 के तहत एक नोटिस आवश्यक था क्योंकि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त एक लोक सेवक था और उसके बाद, एक दूसरा मुकदमा, 1990 का टाइटल सूट नंबर 102 था, कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त को उचित नोटिस दिए जाने पर प्रतिवादी द्‌वारा दायर किया गया था। कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त की स्थिति के संबंध में उपर्युक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस समस्या पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को पलटने में गलती की। यह के लिए खुला नहीं था । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उस प्रश्न को फिर से खोलने के लिए जो इस न्यायालय द्‌वारा तय किया गया था, कम से कम उन्हीं प्रस्तुतियों पर जो, क्या यह सच है कि यद्‌यपि उक्त अधिकारी केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी था, तथापि जब वह उक्त पद का निर्वहन कर रहा था तब उसे उक्त दर्जा प्राप्त नहीं था। कोयला खान भविष्य के न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष निधि योजना।

14. इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त को इस न्यायालय द्‌वारा एक सार्वजनिक अधिकारी माना गया है,; और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXVII नियम 5A के प्रावधानों के मद्‌देनजर भारत संघ को एक पक्ष के रूप में मुकदमे में शामिल होना आवश्यक था। तदनुसार, हम, अपील किए गए निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का

कोई कारण नहीं देखते हैं और कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दायर अपील के विरुद्ध निर्णय और आदेश की अपील खारिज की जाती है, यद्यपि लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।`

बी.बी.बी. अपील खारिज कर दी गई।

<u>यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।</u>